

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांक:प.1(6)गृह-7 / 2017-09386

जयपुर, दिनांक :

:: आज्ञा ::

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09.05.2022 एवं 18.05.2022 द्वारा गृह रक्षा विभाग में निम्नलिखित अधिकारियों को उप समादेष्टा के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। उक्त अधिकारियों की कार्यग्रहण दिनांक से परिवीक्षाधीन अवधि 02 वर्ष की सेवाएं संतोषजनक पूर्ण होने के फलस्वरूप राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम-1976 में विहित शर्तों के अन्तर्गत इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से उप समादेष्टा के पद पर स्थायी किये जाने एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2017 पे-मेट्रिक्स लेवल **L-14** में न्यूनतम वेतन रू. 56,100/- स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम	उपस्थिति / कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की दिनांक	स्थायीकरण / नियमित वेतनमान स्वीकृत दिनांक
1.	श्री राजेन्द्र कुमार / हरदान राम	19.05.2022	18.05.2024	19.05.2024
2.	श्री अमन रूस्तगी / विद्यासागर रूस्तगी	20.05.2022	19.05.2024	20.05.2024
3.	श्री डेसमण्ड फ्रेडरिक हाईड / जूड हाईड	10.05.2022	09.05.2024	10.05.2024
4.	श्री भानू शर्मा / बनवारी लाल शर्मा	11.05.2022	10.05.2024	11.05.2024
5.	श्री चाणक्य जायसवाल / घनश्याम जायसवाल	10.05.2022	09.05.2024	10.05.2024
6.	सुश्री प्रियंका कड़वासरा / ज्ञान प्रकाश कड़वासरा	12.05.2022	11.05.2024	12.05.2024
7.	श्री हरवीर परिहार / सुरेन्द्र पाल सिंह	25.05.2022	24.05.2024	25.05.2024

आज्ञा से,

(सोविला माथुर)
शासन उप सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
- निजी सचिव, महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर को पत्र क्रमांक: निगूर/ई-1(5)(2-2)2023 दिनांक 01.05.2024 के क्रम में (07 सेवा पुस्तिका सहित)।
- निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अद्यतन हेतु।
- निजी सहायक, शासन उप सचिव, गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग।
- सम्बन्धित अधिकारी मार्फत निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर।
- निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव